



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35325

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6277/2026

अशोक कुमार यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : खुर्शीद आलम

प्रतिवादीगण(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता ने पहले इस न्यायालय में जनहित याचिका संख्या 1620/2023 (अशोक कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) दायर की थी, जिसका निस्तारण इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ ने 04.04.2024 के आदेश द्वारा किया था। उक्त आदेश इस प्रकार है:-

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"i) प्रतिवादी संख्या 2 को परमादेश के रूप में आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें उन्हें प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा 'नवीन परती' भूमि (ग्राम - मिश्राउली, थाना - अहिराउली, तहसील - हाटा, जिला - कुशीनगर में स्थित आराजी संख्या 155(मी), क्षेत्रफल 0.210 हेक्टेयर पर किए गए अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया जाए।

ii) प्रतिवादी संख्या 2 को परमादेश प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें उन्हें रिट याचिका के साथ संलग्न 15.04.2023 के अभ्यावेदन (अनुलग्नक संख्या 4) पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. 13.10.2023 के आदेश द्वारा, संबंधित तहसीलदार को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत मुकदमा संख्या T202305440205116 और T202305440205117 पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

4. चूंकि मामला अभी लंबित है, इसलिए मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता और उम्मीद है कि मामले का फैसला कानून के अनुसार किया जाएगा।

5. ऊपर बताई गई बातों के साथ, यह जनहित याचिका निस्तारित की जाती है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि 18 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन मामले में अंतिम फैसला लेने के बजाय, प्रतिवादी संख्या 2/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हैं। इसलिए याचिकाकर्ता को यह याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

3. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी गई और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4. अभिलेख का अवलोकन करने से साफ है कि याचिकाकर्ता द्वारा पहले दायर की गई जनहित याचिका में, इस न्यायालय ने 04.04.2024 के आदेश के ज़रिए प्रतिवादी संख्या 2 को कानून के अनुसार मामले का फैसला करने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के नियम 67 के उप-नियम (6) के तहत पूरी प्रक्रिया पहले ही बताई जा चुकी है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत शुरू की गई कार्यवाही 'कारण बताओ नोटिस' जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अगर कार्यवाही इस अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाना चाहिए।

5. जहां तक मौजूदा मामले की बात है, कार्यवाही 2023 से प्रतिवादी संख्या 2 के पास लंबित है और नोटिस जारी होने की तारीख से 90 दिन बीत जाने के बाद भी आदेश-पत्र में कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है।

6. इस स्थिति को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करके यह बताएं कि अगली सुनवाई की तारीख, यानी 26.02.2026 को उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. मामले को 26.02.2026 को नए सिरे से पेश किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले पर सुबह 10:00 बजे सुनवाई होगी।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

17 फरवरी, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”